विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में ₹ 1,416.97 करोड़ से सन्निहित कर, शुल्क, फीस, ब्याज, अर्थदण्ड इत्यादि का अवनिर्धारण, कम आरोपण से संबंधित 40 कंडिकाएँ हैं, जिसमें ''मोटर वाहन कर का आरोपण एवं संग्रहण'' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा ''मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस का आरोपण एवं संग्रहण'' तथा ''वाणिज्य कर विभाग में राजस्व के बकायों की वसूली हेतु प्रणाली'' पर दो लेखापरीक्षा शामिल है। कुछ महत्वपूर्ण अवलोकन नीचे वर्णित हैं :

I. सामान्य

वर्ष 2015–16 के लिए बिहार सरकार की कुल प्राप्तियाँ ₹ 96,123.10 करोड़ थी। कर राजस्व के ₹ 25,449.18 करोड़ एवं कर भिन्न राजस्व के ₹ 2,185.64 करोड़ को मिलाकर राज्य सरकार ने कुल ₹ 27,634.82 करोड़ का राजस्व सृजित किया। भारत सरकार से प्राप्तियाँ ₹ 68,488.28 करोड़ (विभाज्य संघीय करों में राज्य का हिस्साः ₹ 48,922.68 करोड़ तथा सहायता अनुदानः ₹ 19,565.60 करोड़) थी। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा सृजित राजस्व कुल राजस्व प्राप्तियों का मात्र 29 प्रतिशत था। बिक्री, व्यापार पर कर (₹ 10,603.40 करोड़) एवं अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग (₹ 971.34 करोड़) क्रमशः कर राजस्व एवं कर भिन्न राजस्व के मुख्य श्रोत थे।

(कंडिका 1.1.1)

दिसम्बर 2015 तक निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं, जिनका निराकरण जून 2016 तक नहीं हो पाया था, की संख्या क्रमशः 2,008 एवं 15,426 थी, जिसमें ₹ 10,662.75 करोड़ सन्निहित थे। 1,209 निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रथम उत्तर भी हमें प्राप्त नहीं हुए हैं, यद्यपि इनकी प्राप्ति के चार सप्ताह के अन्दर उत्तर दिया जाना अपेक्षित था।

(कंडिका 1.6)

हमने वाणिज्य–कर, राज्य उत्पाद, वाहनों पर कर, मुद्रांक एवं निबंधन फीस, भू–राजस्व तथा अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग के अभिलेखों की वर्ष 2015–16 के दौरान नमूना जाँच किया एवं 2,990 मामलों में ₹ 3,663.11 करोड़ के राजस्व का अवनिर्धारण/कम आरोपण/हानि का पता चला। वर्ष 2015–16 की अवधि के दौरान विभागों ने 293 मामलों में ₹ 275.41 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया।

(कंडिका 1.9)

II. मोटर वाहनों पर कर

'मोटर वाहन कर का आरोपण एवं संग्रहण' पर निष्पादन लेखापरीक्षा से निम्नलिखित त्रुटियाँ संसूचित हुईः

शहरी क्षेत्रों में रहने वाले 80 प्रतिशत से अधिक लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित वायु गुणवत्ता की सीमा से खराब वायु से प्रभावित हैं। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रिपोर्ट पर आधारित विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किये गये एक सर्वे में पाया गया कि 2.5 अथवा इससे कम माइक्रोन के अतिसूक्ष्म कण का वार्षिक औसत स्तर 149 (वर्ष 2013) तथा 10 अथवा इससे अधिक माइक्रोन के कण का वार्षिक औसत स्तर 167 (वर्ष 2012) के साथ पटना विश्व का छठा सबसे अधिक प्रदूषित शहर है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधीन इन्दिरा गाँधी विज्ञान केन्द्र तारामंडल, पटना ने रेस्पायरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर के प्रति घनमीटर 60 माइक्रोग्राम के मान्य सीमा के विरूद्ध 280 के साथ शहर के वायु गुणवता को अत्यधिक ''अस्वास्थ्यकर'' घोषित (16 दिसम्बर 2016) किया। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी किये गये एम्बिएन्ट

एयर क्वालिटी मोनिटरिंग हेतु गाईडलाइन यह बताता है कि रेस्पायरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर के मुख्य स्रोतों में से एक वाहनों से होने वाला उत्सर्जन है। लेखापरीक्षा ने पाया कि पटना में वाहनों की संख्या 1 अप्रैल 2011 के 2.34 लाख से बढ़कर 31 मार्च 2016 को 6.74 लाख हो गयी। यह स्पष्ट करता है कि पटना में वाहनों की संख्या में घातीय वृद्धि ने शहर के प्रदूषण स्तर को बढाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

(कंडिका 2.4.9.1)

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संधारित आँकड़ो के अनुसार हालाँकि शहर में वाहनों से होने वाले उत्सर्जन के स्तर में वृद्धि हुई है, परन्तु राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकटित हुआ कि कार्यालय में शहर के साथ राज्य के प्रदूषण जाँच केन्द्रों का डाटाबेस संधारित नहीं हो रहा था। जिसके परिणामस्वरूप विभाग प्रदूषण जाँच केन्द्रों के मानक का अनुश्रवण नहीं कर सका, ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि उनके द्वारा किये गये जाँच सही है तथा सिर्फ उन्हीं वाहनों को राज्य में चलाने की अनुमति दी गई है, जो विहित प्रक्रिया के पालन के पश्चात् 'प्रदूषण नियंत्रण' के रूप में अधिप्रमाणित है। प्रदूषण जाँच केन्द्रों के क्रियाकलापों पर राज्य परिवहन आयुक्त के नियंत्रण का अभाव पटना में प्रदूषण स्तर में वृद्धि का कारण हो सकता है।

(कंडिका 2.4.9.2)

वैलिडेसन जाँच एवं उचित अनुश्रवण के अभाव के कारण फर्जी लेन–देन के 35 मामले (जिला परिवहन कार्यालय, पश्चिमी चम्पारण में) तथा मनी रसीद को अनियमित रूप से रद्द किये जाने के 81 मामले (पाँच जिला परिवहन कार्यालयों में) थे। मनी रसीद के संचालन में फर्जी लेन–देन/कदाचार का यह पैमाना वाहन डाटाबेस की अखंडता एवं सुरक्षा को संदिग्ध बना दिया।

(कंडिका 2.4.8)

वाहन सॉफ्टवेयर के रजिस्ट्रेशन माड्यूल में वैलिडेशन जाँच के अभाव एवं जिला परिवहन कार्यालयों के बीच अन्तः–सम्बद्धता में कमी के कारण 132 वाहनों का निबंधन कम विक्रय मूल्य पर हुआ था। पुनः 52 वाहनों का निबंधन दूसरे जिलों में क्रय की वास्तविक तिथि के बाद तथा कम विक्रय मूल्य पर की गई थी। अस्थायी निबंधन संख्या दिये बगैर 19,447 वाहनों की सुपुर्दगी की गई थी तथा 32,797 वाणिज्यिक ट्रैक्टर का निबंधन बगैर ट्रेलर के किया गया था। इन अनियमितताओं के फलस्वरूप ₹ 30.90 करोड़ की कम वसूली हुई।

(कंडिका 2.4.10)

जिला परिवहन कार्यालय, पश्चिमी चम्पारण में 3,188 अभ्यर्थियों को मोटर वाहन चलाने हेतु योग्यता जाँच के बगैर ही ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत कर दिये गये थे। हालाँकि सारथी डाटाबेस ने इंगित किया कि लाइसेंस जाँच उत्तीर्ण हाने के बाद निर्गत किये गये थे, जो संसूचित करता है कि डाटाबेस के साथ छेड़छाड़ की गई थी। लाईसेंस का इस तरह निर्गत किये जाने से दुर्घटना एवं अकाल मृत्यु का भी जोखिम था।

(कंडिका 2.4.11)

चूंकि विभाग जिला परिवहन कार्यालयों के डाटाबेस के साथ क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों के कार्यालयों के डाटाबेस के बीच अंतः–जुड़ाव करने में विफल रहा, अतः बगैर परमिट के तिपहिया वाहनों, ट्रैक्टर–ट्रेलर संयोजन तथा शैक्षणिक संस्थाओं के बसों के परिचालन का पता नहीं चला।

(कंडिका 2.4.12)

शुल्क के रूप में संग्रहित ₹ 10.10 करोड़ की राशि, बिहार वित्तीय नियमावली के प्रावधान की अवहेलना में दो दिनों से 10 महीनों के विलम्ब से सरकारी खाते में प्रेषित की गई थी। पुनः विभिन्न राज्यों/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों से परमिट शुल्क के रूप में प्राप्त 596 बैंक ड्राफ्ट का नगदीकरण उनके वैधता अवधि के दौरान नहीं किया गया था।

(कंडिका 2.4.14)

सत्रह जिला परिवहन कार्यालयों में मार्च 2011 एवं जुलाई 2015 की अवधि के बीच 698 परिवहन वाहनों से संबंधित ₹ 94.22 लाख के बकाये कर का न तो वाहन मालिकों द्वारा भुगतान किया गया और न ही संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा ₹ 2.82 करोड़ (अर्थदण्ड सहित) के बकायों की वसूली हेतु कोई माँग निर्गत की गई थी।

(कंडिका 2.6)

पन्द्रह जिला परिवहन कार्यालयों में 5,150 वाहनों के मालिकों ने एकमुश्त कर का या तो भुगतान ही नहीं किया अथवा कम भुगतान किया। कराधान पदाधिकारियों ने ₹ 4.41 करोड़ के आरोप्य एकमुश्त कर (अर्थदण्ड सहित) का आरोपण नहीं किया।

(कंडिका 2.8)

III. मुद्रांक एवं निबंधन फीस

''मुद्रांक एवं निबंधन फीस का आरोपण एंव संग्रहण'' पर एक लेखापरीक्षा से निम्नलिखित त्रुटियाँ संसूचित हुईः

चार जिला अवर निबंधक के कार्यालयों में जनवरी 2013 से दिसम्बर 2015 के बीच सहायक महानिरीक्षक को प्रेषित ₹ 1.65 करोड़ के मुद्रांक शुल्क से सन्निहित 93 मामले लेखापरीक्षा की तिथि तक निपटारा हेतु लंबित थे, जबकि इनका निपटारा 90 दिनों के भीतर कर दिया जाना चाहिये था।

(कंडिका 3.4.8)

नौ निबंधन प्राधिकारियों ने छूट के दावे हेतु शर्तों को पुरा किये जाने को सुनिश्चित किये बगैर 99 मामलों में 7.57 करोड़ के मुद्रांक शुल्क के छूट का अनियमित अनुमति दिया।

(कंडिका 3.4.10)

IV. वाणिज्य–कर

''वाणिज्य कर विभाग में राजस्व के बकायों की वसूली हेतु प्रणाली'' की लेखापरीक्षा से निम्नलिखित त्रुटियाँ संसूचित हुईः

चयनित जिलों में बकायों की राशि 1 अप्रैल 2011 के ₹ 378.60 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2016 को ₹ 3,637.55 करोड़ हो गई, इस प्रकार वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान 860.79 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई।

(कंडिका 4.4.9)

कर/ब्याज/अर्थदण्ड के बकायों की वसूली हेतु अधिनियम/नियमावलियों/अनुदेशों के प्रावधानों का अनुपालन 15 अंचलों में नमूना–जाँचित 2,787 मामलों में से 230 मामलों में नहीं किया गया था, जिसके फलस्वरूप ₹ 11.64 करोड़ के आरोप्य ब्याज एवं ₹ 35.86 करोड़ के अर्थदण्ड सहित ₹ 223.89 करोड़ के बकायों की वसूली कर–निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा नहीं की गई थी।

(कंडिका 4.4.11)

पन्द्रह अंचलों में 31 मार्च 2016 को ₹ 3637.55 करोड़ से सन्निहित 11,497 मामलों में से ₹ 83.19 करोड़ (2.29 प्रतिशत) से सन्निहित मात्र 2,641 मामले ही नीलामवाद द्वारा आच्छादित थे।

(कंडिका 4.4.12.1)

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम में माँग पत्र निर्गत करने की समय सीमा तथा मानक प्रक्रियाएँ, जैसे कि बैंक खातों की जब्ती, नीलामवाद दायर करना तथा जमानतदार पर दायित्व प्रवर्तित करना विहित नहीं था।

(कंडिका 4.4.13)

31 मार्च 2016 तक अपीलीय तथा साथ ही साथ वाणिज्य कर आयुक्त न्यायालय में 2,454 मामले लम्बित रहने के कारण ₹ 1,203.95 करोड़ के बकाये अवरूद्ध थे।

(कंडिका 4.4.21.1 तथा 4.4.21.2)

रिटर्न में घोषित आवर्त्त का व्यवसायी के अन्य अभिलेखों अथवा अन्य व्यवसायियों के अभिलेखों से लिये गये बिक्री एवं क्रय की सूचनाओं का तिर्यक जाँच की प्रणाली के अभाव के फलस्वरूप आरोप्य अर्थदण्ड एवं ब्याज सहित ₹ 12.41 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

(कंडिका 4.6)

आठ वाणिज्य कर अंचलों में आठ व्यवसायियों से संबंधित ₹ 776.12 करोड़ के अधिसूचित वस्तुओं के वास्तविक आयात का पता कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा नहीं लगाया जा सका, जिसके परिणास्वरूप ₹ 78.27 करोड़ के प्रवेश कर का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 4.20)

पटना विशेष अंचल में एक व्यवसायी द्वारा स्थानीय क्षेत्र के भीतर विनिर्मित एवं उत्पादित अधिसूचित वस्तुओं के मद में प्रवेश कर की कटौती का लाभ लिये जाने का पता कर–निर्धारण प्राधिकारियों को नहीं चला, जिसके फलस्वरूप ₹ 740.70 करोड़ के प्रवेश कर का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 4.22)

V. अन्य कर प्राप्तियाँ

दो जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों ने अधियाची निकाय/विभागों के लिये भूमि अधिग्रहण हेतु ₹ 111.72 करोड़ का स्थापना प्रभार की वसूली एवं प्रेषण को सुनिश्चित नहीं किया।

(कंडिका 5.5)

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, भागलपुर ने सरकारी भूमि का हस्तांतरण से संबंधित ₹ 11.68 करोड़ की वसूली अधियाची प्राधिकार से नहीं किया।

(कंडिका 5.6)

उत्पाद प्राधिकारों ने मासिक लाइसेंस फीस का भुगतान नहीं किये जाने पर उत्पाद दुकानों के 95 समूहों को विलम्ब से निरस्त किया तथा उत्पाद दुकानों के 33 समूहों को निरस्त ही नहीं किया, जिसके फलस्वरूप ₹ 9.15 करोड़ के सरकारी बकायों की कम वसूली हुई।

(कंडिका 5.9)

VI. कर–भिन्न प्राप्तियाँ

अन्तरविभागीय समन्वय में कमी के कारण 20 जिला खनन कार्यालयों में खनिजो की अवैध अधिप्राप्ति हेतु कार्य संवेदको के विरूद्ध ₹ 44.69 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया।

(कंडिका 6.5.1)

आवश्यक खनन परमिट प्राप्त किये बगैर साधारण मिट्टी के उत्खनन हेतु कार्य संवेदको पर ₹ 7.80 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया था।

(कंडिका 6.5.2)